न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी–

श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
58 / प्रा.पत्र / 2020	09.10.2020	11.11.2020

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी।
–प्रार्थी

–बनाम–

1. श्री लोकेश कुमार माहेश्वरी पुत्र श्री रतनलाल माहेश्वरी, मैसर्स फलोड किराना स्टोर, मेन बाजार, केशवरायपाटन, जिला बून्दी। निवासी–कृष्णा गोविंद कॉलोनी, केशवरायपाटन, जिला बून्दी
2. मैसर्स फलोड किराना स्टोर, मेन बाजार, केशवरायपाटन, जिला बून्दी।
3. श्री मैसर्स रिषभ एन्टरप्राइजेज, एक्जोटिका गॉर्डन के पास, बून्दी रोड कुंहाडी, कोटा, राजस्थान।

–अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से– श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
अप्रार्थी 1 व 2 स्वयं
अप्रार्थी 3 की ओर से प्रतिनिधि अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नाकित बिन्दु अंकित किये है:–

1. मैं लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 497 दिनांक 06.09.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 832 दिनांक 29.09.2019 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी आंवटित किया गया है और बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियॉ इस्तगासे के साथ संलग्न है।
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.10.2019 को समय 1:00 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु मैसर्स फलोड किराना स्टारे, मेन बाजार, केशवरायपाटन, जिला

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

बून्दी स्थित प्रतिष्ठान पर पहुंचा। वहां पर श्री लोकेश कुमार माहेश्वरी पुत्र श्री रतनलाल माहेश्वरी निवासी–कृष्णा गोविंद कॉलोनी, केशवरायपाटन, जिला बून्दी विक्रेता एवं मालिक की हैसियत आम जनता को खाद्य पदार्थ कुकिंग मिडियम श्री गोर्वधन जी ब्रांड पैकिट का बेचान कर रहा था। उक्त प्रतिष्ठान के मालिक एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र की जानकारी चाही जिस पर श्री लोकेश कुमार माहेश्वरी द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर प्रतिष्ठान में कुकिंग मिडियम श्री गोर्वधन जी ब्रांड पैकिट का खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। शुद्वता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाके फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता दी और प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है। तत्पश्चात् कुकिंग मिडियम श्री गोर्वधन जी ब्रांड के 500–500 एमएल के चार पैकिट लिया जिसके पेटे 360 रूपये नकद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। विक्रेता ने कार्यालय में आकर खरीद बिल की प्रमाणित प्रति मौके पर दी।
4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ कुकिंग मिडियम श्री गोर्वधन जी ब्रांड के चारों पैकिटों के नमूनें लिये प्रत्येक को लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर चिपकाए एवं लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं कमांक यू–1403 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–1403 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।
5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, कोटा को स्वयं के द्वारा दिनांक 18.10.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी दिनांक 18.10.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।
6. खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र कमांक / एफएसएसए / 2019 / 342–43 दिनांक 12.12.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज0 कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 526 / कोटा एक्ट / 2019 / 605 दिनांक 20.11.2019 के अनुसार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

उक्त नमूना मिसब्रांडेड (Misbranded) एवं सबस्टेण्डर्ड (Substandard) पाया गया।

7. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी ने पत्र क्रमांक / एफएसएसए / 2019 / स्वी. / यू-1403 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।
8. उक्त केस में विक्रेता श्री लोकेश कुमार माहेश्वरी पुत्र श्री रतनलाल माहेश्वरी निवासी-कृष्णा गोविंद कॉलोनी, केशवरायपाटन, जिला बून्दी मालिक मैसर्स फलोड किराना स्टोर, मेन बाजार, केशवरायपाटन, जिला बून्दी, मैसर्स फलोड किराना स्टोर, मेन बाजार, केशवरायपाटन, जिला बून्दी, मैसर्स कान्हा रिषभ एन्टरप्राइजेज, एक्जोटिका गॉर्डन के पास, बून्दी रोड कुन्हाडी, कोटा, राजस्थान, कुकिंग मिडियम श्री गोर्वधन जी ब्रांड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी न्यायालय में उपस्थित जिन्होने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने मिसब्राण्ड (Misbranded) व सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ कुकिंग मिडियम श्री गोर्वधन जी ब्रांड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने व्यक्त किया कि कुकिंग मिडियम श्री गोर्वधन जी ब्राण्ड खाद्य पदार्थ अप्रार्थी संख्या 3 से खरीदा गया था। उक्त खाद्य पदार्थ जैसा खरीदा वैसा ही विक्रय किया जा रहा था, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का कोई दोष नहीं है। मेरे द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से वार्ता करने पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा उनकी ओर से मुझे न्यायालय में उपस्थित होने हेतु कहा गया है। लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

हमने पत्रावली व उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना कुकिंग मिडियम श्री गोर्वधन जी ब्राण्ड खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड (Misbranded) व सबस्टेण्डर्ड (Substandard) घोषित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने प्रतिष्ठान पर मिसब्राण्ड (Misbranded) व सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ कुकिंग मिडियम श्री गोर्वधन जी ब्राण्ड का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 3 भी दोषी है। अप्रार्थीगण का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 52 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को 25,000/- (अक्षरे-पच्चीस हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 3

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

को 75,000/– (अक्षरे–पिचहतर हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)